गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
हंस भवन, विंग–II, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002
वेबसाइट : www.ncte-india.org

सार्वजनिक सूचना

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना देशभर में (जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर) अध्यापक शिक्षा प्रणाली के सुनियोजित और समन्वित विकास करने तथा इससे संबंधित मानक तथा मानदंडों को बनाए रखने व तत्संबंधी मामलों को देखने के प्रयोजन से संसद के अधिनियम (1993 का 73) के तहत की गई है।

2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एतद् विज्ञप्ति द्वारा 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम(आईटीईपी) प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित करती है, जिसके लिए प्रवेश योग्यता 50 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना है। आईटीईपी के अन्तर्गत विश्व में अध्यापक शिक्षा की सर्वोत्तम क्रियाविधियों का समावेश किया गया है तथा इसका उद्देश्य स्कूल प्रणाली के लिए अध्यापकों को तैयार करने में एक गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन लाना है।

3. राअशिप शैक्षिक सत्र 2019–23 के लिए 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) संचालन के लिए मान्यता/अनुमति प्रदान करने हेतु **संयुक्त** शिक्षण संस्थानों से दिनांक 03.12.2018 से 31.12.2018 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करती है। इसका पूर्ण विवरण एनसीटीई की वेबसाइटः www.ncte-india.org पर उपलब्ध है।

4. उल्लेखनीय है कि विनियम 2014 के अनुच्छेद 2(बी) में किए गए प्रावधान (पुनः नीचे उल्लेखित) के अनुसार इस कार्यक्रम के लिए वे संस्थान ही पात्र होंगे, जो "संयुक्त संस्थान" हैं।

"(बी) "संयुक्त संस्थान" का आशय विधिवत रूप से मान्यता प्राप्त ऐसे उच्च शिक्षा संस्थान से है जो अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए आवेदन करते समय स्थिति के अनुसार उदार कलाओं अथवा मानविकियों अथवा सामाजिक विज्ञान अथवा विज्ञान अथवा वाणिज्य अथवा गणित के क्षेत्र में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है अथवा कोई संस्थान, जो अध्यापक शिक्षा संबंधी बहु–कार्यक्रमों का संचालन कर रहा हो।"

5. आवेदक शिक्षण संस्थान जो एनसीटीई विनियम 2014(सुप्रा) के अनुच्छेद 2(बी) के अनुसार इसके लिए योग्य नहीं पाये जाते, उन्हें अपात्र माना जाएगा तथा उनके आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा एवं उनके द्वारा भुगतान किए गए प्रक्रिया शुल्क को जब्त किया जा सकता है।

6. किसी स्पष्टीकरण के मामले में, आवेदक संस्थान एनसीटीई अधिकारियों से निम्नलिखित मोबाइल नम्बरों पर कार्य समय के दौरान (सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 9.30 से सांय 5.30 बजे) सम्पर्क कर सकते हैं।

मोबाइल न. 9625912179

मोबाइल न. 9625670736

सदस्य सचिव